

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23 मार्च, 2018

संख्या- 4/स्था.पद.-08-04/2016 का. 2113/ हजारीबाग जिला अन्तर्गत रामनवमी- 2018 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त, हजारीबाग के अनुरोध के आलोक में दिनांक 24.03.2018 से 27.03.2018 तक निम्नांकित पदाधिकारियों को अपर जिला दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति
i	ii	iii	iv
1	श्री श्याम नारायण राम, 812 /03, पलामू	उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची	अपर जिला दण्डाधिकारी
2	श्री संदीप कुमार मद्देशिया, द्वितीय बैच, महाराजगंज (उ०प्रदेश)	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी
3	श्री राजेश कुमार साहू, तृतीय बैच, चतरा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा	कार्यपालक दण्डाधिकारी
4	श्री महेन्द्र छोटन उराँव तृतीय बैच, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़	कार्यपालक दण्डाधिकारी
5	श्री राजीव नीरज, तृतीय बैच, खूँटी	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी

- II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत हजारीबाग जिला के लिए दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- III. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 24.03.2018 के पूर्वाह्न तक उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे।
- IV. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को ससमय योगदान हेतु अविलम्ब विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- V. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप विरमित किये जाने के उपरांत अपने धारित पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(एच० के० सुधौंशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था.पद.-08-04/2016 का. - 2113/ राँची, दिनांक- 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था.पद.-08-04/2016 का. - 2113/ राँची, दिनांक- 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, हजारीबाग/कोडरमा/रामगढ़/लोहरदगा/गिरिडीह/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।